उत्तर प्रदेश शासन
नियोजन अनुभाग-1
संख्याः 7/2018/ 211/35-1-18-6/8(10)/2016
लखनऊः दिनांक **30** मार्च, 2018

<u>कार्यालय-ज्ञाप</u>

वित्तीय वर्ष 2017-2018 में वित्तीय स्वीकृतियॉ जारी किये जाने के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/ 2017, दिनांकः 03 अगस्त, 2017 में निर्देश निर्गत किये गये हैं। राज्य समन्वयक/सदस्य संयोजक, उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड के पत्र संख्या-455/उ0प्र0रा0जै0ऊ0वि0बो0/2017, दिनांक 12.03.2017 पर प्राप्त प्रस्ताव पर विचारोपरान्त राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-40 के लेखाशीर्षक-2810–अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत-01-बायो ऊर्जा-800-अन्य व्यय-04-उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड-31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) के अन्तर्गत किये गये पुनरीक्षित प्राविधान रू0 88.92 लाख (रूपये अट्ठासी लाख बान्नबे हजार मात्र) की धनराशि के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2016-17 की प्राविधानित धनराशि में से अप्रयुक्त धनराशि रूपया 37.22 लाख को घटाते/समायोजित करते हुए **रू0 51.70 लाख (रूपये इक्यावन लाख सत्तर हजार मात्र)** की धनराशि अधोलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के साथ सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

(1) उक्तानुसार स्वीकृत धनराशि को शासनादेश सं0-15/2016/485/35-1-2016-2/1(86)/2014, दिनाक 13 जून 2016 में अंकित शर्तो/प्रावधानों/प्रतिबन्धों के अनुपालन में उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड/राज्य जैव ऊर्जा नीति-2014 के कार्यक्रमों/परियोजनाओं/योजनाओं के संचालन हेतु बोर्ड के मुख्यालय स्तर पर खोले गये राष्ट्रीयकृत बैंक के बचत खाते में रखा जायेगा तथा उसमें से आवश्यकतानुसार धनराशि को उक्त योजनाओं/परियोजनाओं/कार्यक्रमों/बोर्ड के संचालन हेतु राज्य समन्वयक/सदस्य संयोजक तथा श्री ऋषिकेश दूबे, संयुक्त सचिव, नियोजन विभाग के संयुक्त हस्ताक्षर से आहरित किया जायेगा।

(2) उक्त रूप से स्वीकृत धनराशि को बोर्ड की कार्यकारी समिति के अनुमोदनोपरान्त नियमानुसार व्यय/उपयोग किया जायेगा।

(3) इस सम्बन्ध में समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों/परिपत्रो/शासनादेशों/वित्तीय हस्त-पुस्तिका तथा बोर्ड की नियमावली का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान कार्यालय महालेखाकार, इलाहाबाद, उ0प्र0 में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यता कराया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन अनुभाग-1 को प्रेषित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2. उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के अनुदान सं0 40 के अन्तर्गत ''लेखा शीर्षक-2810 –अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत-01-बायो ऊर्जा-800-अन्य व्यय-04- उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड-31- सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन)'' के नामें डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-8/2017 बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03 अगस्त, 2017 के अनुसार जारी किये जा रहे हैं।

आर0एन0एस यादव
विशेष सचिव।

संख्याः 7/2018/211(1)/35-1-2018-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. अध्यक्ष, उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड/मुख्य सचिव उ0प्र0 शासन।
4. उपाध्यक्ष, उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड/कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
5. श्री ऋषिकेश दूबे, संयुक्त सचिव, नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
6. राज्य समन्वयक/सदस्य संयोजक, उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड, लखनऊ।
7. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
8. केन्द्रीय सहायता (वित्त) अनुभाग।
9. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
10. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
11. वित्त (लेखा) अनुभाग-1
12. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

ऋषिकेश दूबे
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।